

मे. क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, एसईजेड, पुणे, के आईटी/आईटीईएस के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, के जोनल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, सीप्ले एसईजेड, मुंबई में दि 29.02.2024 को आयोजित 132 वी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

1	एसईजेड का नाम	मे. क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, एसईजेड
2	सेक्टर	आईटी/आईटीईएस
3	बैठक क्रमांक	132 वी
4	तारीख	29.02.2024

उपस्थित सदस्य

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्रीमती भारती आहूजा सहा. आयुक्त, आईटी	आयकर विभाग से नामित
3	डॉ. दिलीराज दाभोले उप. डीजीएफटी	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
4	श्रीमती मालती जे. नायर, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे नामित

विशेष आमंत्रित

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री सतबीर शर्मा विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीप्ले-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा विषय क्र 01 : दि ०९.०२.२०२४ को आयोजित 131 वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 09.02.2024 को आयोजित 131 वी अनुमोदन समिति की

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा विषय क्र 02: मैसर्स सामा टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मॉनिटरिंग ऑफ़ परफॉर्मन्स

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, दूसरे ब्लॉक अवधि के वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक, यानि 5 वर्षों के लिए यूनिट के परफॉर्मन्स को नोट किया।

- यूनिट ने वित्त वर्ष 2022-23 में संचयी आधार पर 612.10 करोड़ रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 815.64 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है।
- यूनिट ने वित्त वर्ष 2022-23 में संचयी आधार पर 811.04 करोड़ रुपये यानी 99.43% का सकारात्मक एन.एफ.ई (नेट विदेशी मूल्य (हासिल किया है।
- यूनिट ने 1203 कर्मचारियों (पुरुष-806, महिला-397) को रोजगार प्राप्त किया है।

समिति ने यह भी पाया कि यूनिट ने भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले डीटीए में सेवारं प्रदान की हैं। जैसा कि नीचे बताया गया है,

वर्ष	रुपये
2018-19	
2019-20	23,92,494/-
2020-21	3,55,000/-
2021-22	3,70,500/-
2022-23	72,400/-
Total	9,61,080/-
	41,51,474/-

चूँकि यूनिट को विदेशी मुद्रा के बजाय INR में भुगतान प्राप्त हुआ है, अनुमोदन समिति ने SEZ अधिनियम, 2005 की धारा 2(z)(iii) के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए SCN जारी करने का निर्देश दिया है।

एजेंडा विषय क्र 03 : मैसर्स डैल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव कि अनुमोदन

विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मैसर्स डैल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड को MOC&I द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव कि मंजूरी दे दी। शेयरधारकों की अनुमोदित सूची निम्नलिखित है।

शेयरधारकों की अनुमोदित सूची:

क्र.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	प्रदत्त शेयर पूंजी	होल्डिंग का प्रतिशत
1.	डैल ग्लोबल बी. वी.	2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	72,303,644	144,607,288	62.55071
2.	डैल इंटरनेशनल एल. एल. सी	2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	36,200,126	72,400,252	31.31714
3.	डैल इंटरनेशनल होल्डिंग्स VIII बी. वी.	2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	16	32	0.00001
4.	डैल मार्केटिंग एल.पी	2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	26,179	52,358	0.02265
5.	डैल मार्केटिंग कारपोरेशन	2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	6,246,056	12,492,112	5.40353
6.	इएमसी कारपोरेशन	2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	816006	1632012	0.705
7.	इएमसी (बेनेलक्स) बी. वी.	2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	19	38	0.00002
			115592046	231184092	100

अनुमोदन एमओसी&आई द्वारा जारी अनुदेश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो लागू हो।

- परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता;
- परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना;
- सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियम/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन, जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- इक्विटी/विलय, डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और

क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

- मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय , डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व में स्थानांतरण आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर की कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक धाराओं के तहत होगा।
- आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
- आवेदक को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार मूल्यांकन कार्यालय का विवरण सीबीडीटी को प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को सभी लिखित प्रमाण दस्तावेज में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

एजेंडा विषय क्र 04 : मेसर्स एकज़ोनोबेल ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज एलएलपी द्वारा प्रस्तुत नामित भागीदार के नामांकित व्यक्ति में परिवर्तन का अनुमोदन।

विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मेसर्स एकज़ोनोबेल ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज एलएलपी को MOC&I द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार नामित भागीदार के नामांकित व्यक्ति में परिवर्तन कि मंजूरी दे दी।

नामित भागीदारों की अनुमोदित सूची :

क्र.	नामित भागीदार के नामांकित व्यक्ति का नाम	पद का नाम	नियुक्ति	पूँजी योगदान (पूँजी रकम रुपये में)	पूँजी योगदान %age.
1.	श्री दीपक मलकानी	नामित भागीदार	26.08.2021	172000000	50%
2.	श्री सतीश कुमार	नामित भागीदार	03.03.2023	172000000	50%

अनुमोदन एमओसी&आई द्वारा जारी अनुदेश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो लागू हो।

- परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता;
- परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना;
- सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियम/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन, जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

- इक्विटी/विलय, डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
- मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय , डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व में स्थानांतरण आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर की कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक धाराओं के तहत होगा।
- आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
- आवेदक को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार मूल्यांकन कार्यालय का विवरण सीबीडीटी को प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को सभी लिखित प्रमाण दस्तावेज में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 132nd Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of Qubix Business Park Pvt. Ltd.-SEZ, Pune, held on 29.02.2024.

Name of the SEZ	M/s. Qubix Business Park Pvt Ltd SEZ
Sector	IT/ITES
Meeting No.	132 nd
Date	29.02.2024

Members present

Sr. No.	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Smt. Bharati Ahuja Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Dr. Dileeraj Dabhole, Dy. DGFT	Nominee of DGFT, Pune
4	Smt. Malathi J. Nair Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri Satbir Sharma, Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No.01: Confirmation of Minutes of the 131st meeting held on 09.02.2024

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 131st Approval Committee meeting held on 09.02.2024

Agenda Item No.02: Monitoring of Performance for M/s. Saama Technologies India Pvt Ltd.

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 5 year from FY 2018-19 to FY 2022-23 of 2nd Block period, in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.

- The unit has achieved export of Rs. 815.64 Cr. against the projected export of Rs. 612.10 Cr. in FY year 2022-23 on cumulative basis
- The unit has achieved NFE of Rs. 811.04 Cr. i.e., 99.43% in FY year 2022-23 on cumulative basis.
- The unit has achieved employment of 1203 employees (Men-806, Women-397)

Further, the committee observed that the unit has provided services in DTA against the payments received in INR as detailed below:

Year	In Rupees
2018-19	23,92,494/-
2019-20	3,55,000/-
2020-21	3,70,500/-
2021-22	72,400/-
2022-23	9,61,080/-
Total	41,51,474/-

As the Unit has received payment in INR instead of Foreign Currency the Approval Committee directed to issue a SCN for contravening the provision of Section 2(z)(iii) of SEZ Act, 2005,.

Agenda Item No.03: Application for approval of Change in Shareholding Pattern submitted by M/s. Dell International Services India Pvt Ltd

After deliberation, the Approval committee approved the Change in Shareholding pattern of M/s. Dell International Services India Pvt Ltd in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021.

Approved Shareholding Pattern :

Sr. No.	Name of Shareholders	Class of Shares	No. of Shares held	Paid up Share capital	Percentage of Holding
---------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

1.	Dell Global B.V.	Equity shares of Rs. 2/- each	72,303,644	144,607,288	62.55071
2.	Dell International L.L.C	Equity shares of Rs. 2/- each	36,200,126	72,400,252	31.31714
3.	Dell International Holdings VIII B.V.	Equity shares of Rs. 2/- each	16	32	0.00001
4.	Dell Marketing L.P.	Equity shares of Rs. 2/- each	26,179	52,358	0.02265
5.	Dell Marketing Corporatio Equity shares of Rs. 2/- each	Equity shares of Rs. 2/- each	6,246,056	12,492,112	5.40353
6.	EMC Corporation	Equity shares of Rs. 2/- each	816006	1632012	0.705
7.	EMC (BENELUX) B.V.	Equity shares of Rs. 2/- each	19	38	0.00002
			115592046	231184092	100

The approval is subject to the conditions as laid down in Instruction No. 109, as applicable, issued by MOC&I

- Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity;
- Fulfilment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc. by the altered entity and its constituents;
- Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Act/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
- Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
- The assessing officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger, demerger, amalgamation, transfer in ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
- The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.

சென்னை மெட்ரோபொலிட்டான் டீவலப்மென்ட் லிமிடெட்
சென்னை மெட்ரோபொலிட்டான் டீவலப்மென்ட் லிமிடெட்
1 & 2, சென்னை மெட்ரோபொலிட்டான் டீவலப்மென்ட் லிமிடெட்
சென்னை மெட்ரோபொலிட்டான் டீவலப்மென்ட் லிமிடெட்
1, சென்னை மெட்ரோபொலிட்டான் டீவலப்மென்ட் லிமிடெட்

- g. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing office of the unit to CBDT.
- h. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

Agenda Item No.04: Application for approval of Change in Nominee of designated partner submitted by M/s. AckzoNobel Global Business Services LLP.

After deliberation, the Approval committee approved Change in Designated Partners and their Shareholding pattern of M/s. AckzoNobel Global Business Services LLP. in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021.

Approved List of Designated Partners:

Sr. No.	Name of the Nominee of designated Partner	Designation	Date of appointment	Capital Contribution (Amt.in Rs.)	Capital Contribution %age.
1.	Mr. Deepak Malkani	Designated Partner	26.08.2021	172000000	50%
2.	Mr. Satish Kumar	Designated Partner	03.03.2023	172000000	50%

The approval is subject to the conditions as laid down in Instruction No. 109, as applicable, issued by MOC&I

- Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity;
- Fulfilment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc. by the altered entity and its constituents;
- Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Act/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
- Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
- The assessing officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger, demerger, amalgamation, transfer in ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
- The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
- The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing office of the unit to CBDT.
- The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

[Signature]
27.03.2024
राजेश कुमार मिश्रा / Rajesh Kumar Mishra
विकास आयुक्त/Development Commissioner
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry
सीएफ़- विशेष आर्थिक क्षेत्र/SEEPZ- Special Economic
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 96 / Andheri (E), Mu